रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022021-225431
CG-DL-E-24022021-225431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2021/फाल्गुन 5, 1942
No. 816] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2021/PHALGUNA 5, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2021

विषय: दिल्ली एकीकृत भवन उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में संशोधन ।

का. आ. 886(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, एतद्वारा, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली एकीकृत भवन उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्रम.सं.	यू 2016 .एल.बी.बी.में मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	**2.0.1** प्रक्रिया	**2.0.1 प्रक्रिया** (ड़) सार्वजनिक सुविधा संरचनाओं के लिए भवन परमिट की आवश्यकता नहीं है: जन सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,पर्यावरण और जलवायु/प्रदूषण/ नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, परिवहन, जलापूर्ति एवं मल व्ययन लाइनों/अवसंरचनाओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना, विद्युत आपूर्ति लाइनों, नवीकरणीय ऊर्जा या ऐसी ही किन्हीं सम्बद्ध क्रियाकलापों के विस्तार के लिए सरकारी एजेंसियों/संगठनों द्वारा

		निष्पादित/प्रोत्साहित अधिकतम 25 वर्ग मी. तक के सार्वजनिक सुविधा संरचनाओं (इसमें किसी सार्वजनिक उपयोग से संबंधित इसके आनुषंगिक भवन भी शामिल हैं) के निर्माण/स्थापना के लिए किसी नोटिस और भवन परमिट की आवश्यकता नहीं। **सार्वजनिक सुविधा संरचनाओं में निम्नलिखित शामिल है:** **1. सार्वजनिक शौचालय/वाशरूम** **2. ट्रैफिक एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष** **3. वायु शुद्धिकरण प्रणाली** **4. वर्टिकल गार्डन्स/ग्रीन वाल्स** **5. ढलाव (कम्पेक्टर सहित)** **6. सोलर पैनल** **7. स्मॉग टॉवर *** **टिप्पणी: * स्मॉग टावरों के लिए अवसंरचना (इसमें आनुषंगिक भवन भी शामिल हैं) के आकार पर ध्यान दिए बिना संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी से कोई भवन परमिट लेना आवश्यक नहीं है। जहां कहीं लागू हो, डी यू ए सी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांगा जाए।**
2	2.5.5 किसी भी विचलन के बिना कुरसी स्तर निरीक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुत/जारी किए बिना अथवा कुरसी स्तर निरीक्षण की मानित पूर्णता के बिना आगे कोई निर्माण नहीं किया जाएगा । इस प्रावधान के उल्लंघन पर भवन नक्शे की संस्वीकृति हेतु भवन परमिट शुल्क की दर से जुर्माना लगेगा ।	2.5.5 **आंशिक कुर्सी निरीक्षण प्रमाणपत्र एक बार में कम से कम एक ब्लॉक के लिए जारी किया जा सकता है।** **तथापि,** किसी भी विचलन के बिना कुरसी स्तर निरीक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुत/जारी किए बिना अथवा कुरसी स्तर निरीक्षण की मानित पूर्णता के बिना आगे कोई निर्माण नहीं किया जाएगा । इस प्रावधान के उल्लंघन पर भवन नक्शे की संस्वीकृति हेतु भवन परमिट शुल्क की दर से जुर्माना लगेगा ।
3	**2.7.7 मध्यम और उच्च जोखिम वाले भवनों के लिए ओ.सी.सी. हेतु निरीक्षण प्रक्रिया:** (क) सभी बाहरी एजेंसियां स्थल/ भवन का निरीक्षण करेगी तथा सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर उनका अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अस्वीकृति/आपत्ति के बारे में संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण तथा स्वामी/आवेदक को प्रेषित करेगी।	**2.7.7 मध्यम और उच्च्व जोखिम वाले भवनों के ओ सी सी के लिए नरीक्षण की प्रक्रिया :** (क) सभी बाहरी एजेंसियां स्थल/ भवन का निरीक्षण करेगी तथा सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर उनका अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अस्वीकृति/आपत्ति के बारे में संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण तथा स्वामी/आवेदक को प्रेषित करेगी। **तथापि वेयर हाउस/भंडारण भवनों के मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र**

		/अस्वीकृत/आपत्ति प्रमाणपत्र सी ओ सी सी आर एफ प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के अंदर जारी किया जाए।
4	**2.9.1** **भवन परिमिट का प्रतिसंहरण** यदि आवेदन-पत्र जिस पर भवन परमिट आधारित था, उसमें कोई झूठा कथन अथवा तथ्यों की गलत बयानी की गई है तो संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी, किसी भवन परमिट, जिसमें भवन नक्शे की संस्वीकृति और/अथवा ओ सी सी शामिल है, का प्रतिसंहरण करेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।	**2.9.1** **भवन परमिट का प्रतिसंहरण** यदि आवेदन-पत्र जिस पर भवन परमिट आधारित था, उसमें कोई झूठा कथन अथवा तथ्यों की गलत बयानी की गई है तो संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी, किसी भवन परमिट, जिसमें भवन नक्शे की संस्वीकृति और/अथवा ओ सी सी शामिल है, का प्रतिसंहरण करेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। (i) **इन उपनियमों के अनिवार्य प्रावधानों जैसे कि हरित भवन, स्वच्छ भारत शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, दिव्यांगजन के अनुकूल विशेषताओं, दोहरी पाइपिंग प्रणाली आदि का अनुपालन किया जाए और उन्हें चालू अवस्था में रखा जाए अन्यथा अधिभोग सह-समापन (ओ सी सी) प्रमाण पत्र/ नियमितीकरण प्रमाणपत्र संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।** **(ii) सभी प्रकार के निर्माणों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए अन्यथा ओ सी सी प्रमाणपत्र संस्वीकृति प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।**
5	**7.11** सीढ़ी के विषय में विवरण फ. घुमावदार (स्पाइरल) सीढ़ियां (फायर एस्केप)- (i) घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग कम अधिभोग भार और 9 मी. का ऊँचाई के भवन तक सीमित होगा। (ii) घुमावदार फायर एस्केप 1.5 मी. व्यास से कम नहीं होगी और उसका डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि पर्याप्त हेडरूम हो।	**7.11** सीढ़ी के विषय में विवरण फ. घुमावदार (स्पाइरल) सीढ़ियां (फायर एस्केप)- (i) घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग कम अधिभोग भार और **15 मी.** का ऊँचाई के भवन तक सीमित होगा। (ii) घुमावदार फायर एस्केप **2 मी.** व्यास से कम नहीं होगी और उसका डिजाइन इस प्रकार होना चाहिए कि पर्याप्त हेडरूम हो।
6	**7.11 सीढ़ी के विषय में विवरण** छ. कम ऊँचे आवासीय भवनों, गगनचुंबी बिल्डिंग सहित अन्य भवनों के मामले में राइजर की अधिकतम ऊँचाई 150 एमएम होगी और प्रति सीढ़ी राइजरों की अधिकतम संख्या 12 प्रति सीढ़ी होगी।	**7.11 सीढ़ी के विषय में विवरण** छ. कम ऊँचे आवासीय भवनों में राइजर की अधिकतम ऊँचाई **190 एमएम और** गगनचुंबी आवासीय भवनों सहित अन्य भवनों के मामले में राइजर की अधिकतम ऊँचाई **150 एम एम** होगी और प्रति सीढ़ी राइजरों की अधिकतम संख्या 12 प्रति सीढ़ी होगी।

		(अनुलग्नक **IV**, (ख) **(ii)** के अनुसार समापन के समय **±5** विचलन अनुमत होगा।)
7	7.17.2: अग्निशमन सुरक्षा अनापत्तियों और अन्य अनिवार्य अनापत्तियों की शर्त के अधीन निम्नलिखित को एफ.ए.आर. और ग्राउंड कवरेज की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा:- छ. किसी भी तल स्तर पर सभी परगोल तल कवरेज के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगें। ढ़ गगनचुंबी/कम ऊँचे भवनों, आवासीय प्लॉटिड विकास को छोड़कर, में सभी सीढ़ीयों, अग्निशमन टावर एफ.ए.आर. तथा तल कवरेज में नहीं गिने जाएंगा। त. सौलर पैनल ए.ए.आई. द्वारा अनुमत अधिकतम ऊँचाई/डी.एफ.एस. द्वारा प्रदत्त अनापत्तियों की शर्त के अधीन किसी भी ऊँचाई अथवा स्तर (भूतल सहित)/टैरेस/रूफ टॉप पर होंगे।	7.17.2: अग्निशमन सुरक्षा अनापत्तियों और अन्य अनिवार्य अनापत्तियों की शर्त के अधीन निम्नलिखित को एफ.ए.आर. और ग्राउंड कवरेज की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा:- छ. किसी भी तल स्तर पर सभी परगोल तल कवरेज के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगें। ढ़ सभी सीढ़ीयों, अग्निशमन टावर एफ.ए.आर. तथा तल कवरेज में नहीं गिने जाएंगी । त. सौलर पैनल ए.ए.आई. द्वारा अनुमत अधिकतम ऊँचाई/डी.एफ.एस. द्वारा प्रदत्त अनापत्तियों की शर्त के अधीन किसी भी ऊँचाई अथवा स्तर (भूतल सहित)/टैरेस/रूफ टॉप पर होंगे। आग के **जोखिम से बचने के लिए नीचे का स्थान हर प्रकार के भंडारण, अधिभोग, उपयोग/गतिविधि, विद्युत संस्थापनाओं आदि से मुक्त रखा जाएगा।**
8	**7.28 लिफ्ट और एस्केलेटर** नोट: ख. बेसमेंट और रुफ टॉप/टेरेस सहित सभी तल लिफ्ट की पहुँच में होंगे। भवन में उपलब्ध कराई गई लिफ्टों को आपातकाल में बचाव के साधन के रूप में नहीं माना जाएगा।	**7.28 लिफ्ट और एस्केलेटर** नोट : **ख.** बेसमेंट सहित सभी तल लिफ्ट की पहुँच में होंगे। भवन में उपलब्ध कराई गई लिफ्टों को आपातकाल में बचाव के साधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ग. ***जहां किसी क्षेत्र का उपयोग सार्वजनिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता है वहां लिफ्ट/कार लिफ्ट टेरेस/ रूफ टॉप तक लगाई जाएं। (देखे 7.19*** vii)
9		**7.31** **ग्रीन ब्लू अवसंरचना में वृद्धि करना** **शहर में ग्रीन-ब्लू अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर बनाये गये दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित सभी स्थलो/ भवनों/ विकासकार्यों के अंदर ग्रीन-ब्लू विशेषताओं को विकसित किया**

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>जाएगा।

इसका उद्देश्य मौजूदा प्राकृतिक संपत्तियों को सुरक्षित करना, ग्रीन-ब्लू संपत्तियों की संख्या और गुणबत्ता बढ़ाना और ग्रीन-ब्लू निरंतरता को सुधारने के लिए विभिन्न प्राकृतिक और मानवनिर्मित संपत्तियों/तत्वों को जोड़ना है।</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>तालिका 8.1 विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई
<table>
<tr><td>असेम्बली भवन जैसे कि ऑडीटोरियम, थीयेटर, सीनेमा आदि।</td><td>2.0 मी.</td></tr>
</table>
</td>
<td>तालिका 8.1 विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई
<table>
<tr><td>असेम्बली भवन जैसे कि ऑडीटोरियम, थीयेटर, सीनेमा आदि।

टिप्पणी: 150 से कम व्यक्तियों वाले असेम्बली अधिभोग के मामले में सीढ़ियों की चौड़ाई 1.50 मी. स्वीकृत की जा सकती है।

(देखें एन बी सी भाग 3 विकास नियंत्रण नियम एवं सामान्य भवन अपेक्षाएं)</td><td>2.0मी</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>8.5.2 विद्युत सेवाएं
(घ)
सभी प्रकार की विद्युत संस्थापन जैसे कि मीटर बॉक्स, सर्किट ब्रेकर, मेन स्विच, स्विच गियर, विद्युत वाहन चार्जिंग पोर्ट, उससे सम्बद्ध उपकरण जो ऊर्जा आपूर्ति प्वाइंट के रूप में काम करते हैं और जिनसे आग लगने का जोखिम हो सकता है, उन्हें सीढ़ियों के नीचे या आसपास लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि स्टिल्ट एरिया में ये विद्युत संस्थापन लगाए जाते है तो उन्हें अग्नि रोधी सामग्री से चारों ओर से कवर किया जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>9.3.1
ट. घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि घुमावदार सीढ़ी का प्रयोग, निम्न अधिभोग लोड और 9.0 मी. ऊंचाई के भवन तक सीमित हो। इसके अतिरिक्त, एक घुमावदार अग्नि बचाव मार्ग 1.5 मी. व्यास से कम नहीं होना चाहिए</td>
<td>9.3.1
ट. घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि घुमावदार सीढ़ी का प्रयोग, निम्न अधिभोग लोड और 15 मी. ऊंचाई के भवन तक सीमित हो। इसके अतिरिक्त, एक घुमावदार अग्नि बचाव मार्ग 2 मी. व्यास से कम नहीं होना चाहिए</td>
</tr>
</table>

	और एक उपयुक्त हैडरूम के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।	और एक उपयुक्त हैडरूम के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। *(देखे 7.11 फ)*
13	**अध्याय 10** **हरित भवनों के लिए प्रावधान** **10.2 संस्वीकृति के लिए प्रावधान** 1.(ग) अपशिष्ट जल रिसाइकिल एवं पुन: उपयोग।	**अध्याय 10** **हरित भवनों के लिए प्रावधान** **10.2 संस्वीकृति के लिए प्रावधान** 1.(ग) अपशिष्ट जल रिसाइकिल एवं पुन: उपयोग **और दोहरी पाइपिंग प्रणाली।**
14	**संलग्नक-X** **हरित भवनों के लिए प्रावधान** **1.ग अपशिष्ट जल रिसाइकिल और पुन: उपयोग** i. अपशिष्ट जल संयंत्र : केंद्रीय (अथवा) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो की लागू हो, के द्वारा निर्धारित पुन: उपयोग हेतु उपयुक्त गुणवत्ता मानकों के लिए भवन में उत्पन्न अपशिष्ट जल का 100% प्रबंधन करने के लिए सहित ऑन साइट शोधन प्रणाली डिजाइन करना।	**संलग्नक-X** **हरित भवनों के लिए प्रावधान** **1.ग अपशिष्ट जल रिसाइकिल और पुन: उपयोग** i. **अपशिष्ट जल संयंत्र :** केंद्रीय (अथवा) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो की लागू हो, के द्वारा निर्धारित पुन: उपयोग हेतु उपयुक्त गुणवत्ता मानकों के लिए भवन में उत्पन्न अपशिष्ट जल का 100% प्रबंधन करने के लिए **दोहरी पाइपिंग प्रणाली** सहित ऑन साइट शोधन प्रणाली डिजाइन करना।

[सं. एफ.15(06)2016/एम.पी./पार्ट]

राजीव गांधी, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2021

Sub: Modifications in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016

S.O. 886(E).—in exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby make the following modification in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016.

Sl. No.	**Existing Provisions in UBBL 2016**	**Proposed Amendments**
1	**2.0.1Procedure**	**2.0.1 Procedure** **(e) Building permit not required for Public Utility structures:** **No notice and building permit is required from the sanctioning authority for erection/ installation of Public Utility structures not exceeding 25 sqms (including its ancillary buildings purely related to any public utility) executed/promoted by Government Agencies/Organizations for enhancement of - Public Safety, Public Health and Hygiene, Environment and Climate/Pollution/ Control, Energy Conservation, Transportation, Water Supply and Sewage Disposal lines/ infrastructures, Solid Waste Management**

		infrastructures, Electricity Supply lines, Renewable Energy or for any other such associated activities. **Public Utility structures may include:** **1. Public toilets/washrooms** **2. Traffic and Police Control Rooms** **3. Air Purification Systems,** **4. Vertical gardens/green walls** **5. Dhalaos (including compactor)** **6. Solar panels** **7. Smog towers*** **Note: * For Smog Towers no building permit is required from the sanctioning authority irrespective of the size of structure (including ancillary buildings). NOC from DUAC may be sought by the project proponent wherever applicable.**
2	2.5.5 No further construction can be carried out without the submission/ issue of plinth level inspection report free from any deviation or deemed completion of plinth level inspection. Violation of this provision will attract penalty at same rate as that for building permit fee for sanction of building plan.	2.5.5 **Part Plinth Inspection Certificate can be issued for at least one block at a time.** **However,** no further construction can be carried out without the submission/ issue of plinth level inspection report free from any deviation or deemed completion of plinth level inspection. Violation of this provision will attract penalty at same rate as that for building permit fee for sanction of building plan.
3	**2.7.7 Procedure for inspection for OCC for moderate and high risk buildings:** (a) All the external agencies shall inspect the site/ buildings and communicate to the sanctioning authority and the owner/ applicant, their NOC/refusal/objection within a period of 15 days from the date of the receipt of the COCCRF.	**2.7.7 Procedure for inspection for OCC for moderate and high risk buildings:** (a) All the external agencies shall inspect the site/ buildings and communicate to the sanctioning authority and the owner/ applicant, their NOC/refusal/objection within a period of 15 days from the date of the receipt of the COCCRF. **However, in case of warehouse/ storage buildings, the NOC/refusal/ objection is to be issued within 10 days from the date of the receipt of COCCRF.**
4	**2.9.1** **Revocation of Building Permit** The sanctioning authority shall revoke any building permit including sanction of building plan and/or OCC and take action as per law, if there has been any false statement	**2.9.1** **Revocation of Building Permit** The sanctioning authority shall revoke any building permit including sanction of building plan and/or OCC and take action as per law, if there has been any false statement or any misrepresentation of

	or any misrepresentation of material facts in the application on which the building permit was based.	material facts in the application on which the building permit was based. **(i) The mandatory provisions of these Bye Laws like Green Buildings, Swachh Bharat toilets, child care room, disabled friendly features, Dual Piping System etc. shall be maintained and kept in proper working condition, otherwise the Occupancy-cum-Completion certificate/ Regularization certificate shall be revoked by the sanctioning authority.** **(ii) The provisions for parking in all type of occupancies shall be ensured otherwise the Occupancy-cum-Completion certificate may be revoked by the sanctioning authority.**
5	**7.11 Staircase Details** v. Spiral Stairs (fire escape) – i. The use of spiral staircase shall be limited to low occupant load and to a building of height 9 m. ii. A spiral fire escape shall be not less than 1.5 m in diameter and shall be designed to give adequate head room.	**7.11 Staircase Details** v. Spiral Stairs (fire escape) – i. The use of spiral staircase shall be limited to low occupant load and to a building of height **15 m**. ii. A spiral fire escape shall be not less than **2 m** in diameter and shall be designed to give adequate head room.
6	**7.11 Staircase Details** g. The maximum height of riser shall be 150mm in the case of low rise residential buildings, other buildings including high rise residential building and maximum number of risers per flight shall be limited to 12 per flight.	**7.11 Staircase Details** g. The maximum height of riser shall be **190mm** in the case of low rise residential buildings **and 150mm for** other buildings including high rise residential building and maximum number of risers per flight shall be limited to 12 per flight. **(±5 mm deviation is allowed at the time of completion as per Annexure IV, (B) ii)**
7	7.17.2 The following shall not be included in covered area for FAR and Ground Coverage calculations, subject to Fire Safety Clearances and other mandatory clearances: g. All pergolas at any floor level not exceeding 20% of Ground Coverage. n. Area of all staircase/s, Fire Tower/s in high rise/low rise buildings, **excluding residential plotted development**, shall not be counted in FAR and Ground coverage. p. Solar Panels at any height or level	7.17.2 The following shall not be included in covered area for FAR and Ground Coverage calculations, subject to Fire Safety Clearances and other mandatory clearances: g. All pergolas at any floor level not exceeding **30%** of Ground Coverage. n. Area of all staircase/s, Fire Tower/s shall not be counted in FAR and Ground coverage. p. Solar Panels at any height or level (including

<table>
<tr><td></td><td>(including ground level)/ terrace/ roof top subject to the max. height permitted by AAI/clearance from DFS.</td><td>ground level)/terrace/roof top subject to the max. height permitted by AAI. The space underneath shall be free from all types of storage, occupancy, use/activity, electrical installations etc. to prevent fire hazard.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>7.28 Lifts and Escalators
(b) All the floors including basement and roof top/terrace shall be accessible by the lifts. The lifts provided in the buildings shall not be considered as a means of escape in case of emergency.</td><td>7.28 Lifts and Escalators
(b) All the floors including basement shall be made accessible by the lifts. The lifts provided in the buildings shall not be considered as a means of escape in case of emergency.
(c) Lifts/Car lifts upto terrace/roof top be provided where the area is used for public activities. (See 7.19 vii)</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>7.31
Enhancing Green-Blue Infrastructure
Green and Blue features shall be developed within all sites/buildings/developments including areas under environmental protection, subject to guidelines as may be formulated from time to time for enhancing Green-Blue infrastructure in the city.
The objective is to protect the existing natural assets, enhance the quantum and quality of green and blue assets, and connecting the various natural and man-made assets/elements to improve the green-blue continuum.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Table 8.1 Minimum width of staircase for different types of buildings<table><tr><td>Assembly buildings like auditorium, theatres, cinemas etc.</td><td>2.0m</td></tr></table></td><td>Table 8.1 Minimum width of staircase for different types of buildings<table><tr><td>Assembly buildings like auditorium, theatres, cinemas etc.
(Addition)
NOTE: The width of stairs may be accepted to be 1.50 m in case of assembly occupancy having less than 150 persons
(Refer NBC PART 3 Development Control Rules And General Building</td><td>2.0m</td></tr></table></td></tr>
</table>

		Requirements)
11		**8.5.2 Electrical Services** **(d)** **All types of electrical installations such as Meter Box, Circuit breaker, Main Switch, Switchgear, Electric Vehicle Charging Port, associated equipments, which acts as energy supply points and can trigger fire hazard are not allowed under or near the staircase. If installed in Stilt area, these should be encased with fire retardant material.**
12	9.3.1 k. Spiral stairs can be used subject to, the use of spiral staircase shall be limited to low occupant load and to a building of height 9.0 m. further a spiral fire escape shall not be less than 1.5 m in diameter and shall be designed to adequate head room.	9.3.1 k. Spiral stairs can be used subject to, the use of spiral staircase shall be limited to low occupant load and to a building of height less than **15 m**. Further a spiral fire escape shall not be less than **2 m** in diameter and shall be designed to **give** adequate head room. *(See 7.11 v)*
13	**Chapter 10** **Provisions for Green Buildings** **10.2 Provisions for Sanction:** 1. c. Waste Water Recycle and Reuse	**Chapter 10** **Provisions for Green Buildings** **10.2 Provisions for Sanction:** 1.c. Waste Water Recycle and Reuse **and Dual Piping System**
14	**Annexure X** **Provisions for Green Buildings** **1. c. Waste Water Recycle and Reuse** i. **Waste Water Treatment:** Design an on-site treatment system to handle 100% of waste water generated in the building, to the quality standards suitable for reuse, as prescribed by Central (or) State Pollution Control Board, as applicable.	**Annexure X** **Provisions for Green Buildings** **1. c. Waste Water Recycle and Reuse** **i.** **Waste Water Treatment:** Design an on-site treatment system along with **Dual Piping System** to handle 100% of waste water generated in the building, to the quality standards suitable for reuse, as prescribed by Central (or) State Pollution Control Board, as applicable.

[No. F.15(06)2016/MP/Pt.]

RAJIV GANDHI, Commissioner-cum-Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.02.24 20:06:53 +05'30'